Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RB E No.213 /03.
M.C.8/Supplement No.03/03.

No.E(MPP)2003/6/14 New Delhi, dated 09.12.03.

The General Manager (P),
All Indian Railway including
Production Units.

Sub: Physical standard for engagement of persons with disability as apprentices under the Apprentice Training Scheme.

Please find enclosed herewith a copy of a Notification G.S.R. No. 300 dated 11.08.2003 issued by the Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour's regarding relaxation of Physical standard for engagement of persons with disability as apprentices under the Apprenticeship Training Scheme. The same may be implemented wherever Apprentices are trained under Apprentices Act, 1961.

Please acknowledge receipt.

(P. Ananth)
Director (Manpower Planning)
Railway Board

DA: as above.

No.E(MPP)2003/6/14 New Delhi, dated 09.12.2003

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, for information with 35 spares.
2. The General Secretary. AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi, for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi, for information with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (90 spares.)
6. The Secretary General, All Indian RPF Association, Room No. 256,Rail Bhawan,Neew Delhi-110001 for information with 5 spares.

For Secretary, Railway Board.

.....2/-

Copy to:-

CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml.), AM(Elect.), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Staff), AM(Rly. Stores), AM(T&C), AM(Telecom.), AM(Tfc.), AM(Works), Adv(Vig.), Adv. Fin(Exp), Adv.(IR), LA , OSD(MIS)

ED(plg.), ED(Accts.), ED Fin.(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF, EDF(C), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(Trg.&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT),EDME(Dev.), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(Plg.), ED(PP), ED(Projects), ED(Projects)/DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat&Eco), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDT(M), EDT(MC),EDT(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM)EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T),ED(W) .

JDE(L), DDE(LR)I, E(NG)I, E(NG)II & E(Trg.)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं.213/03
एम.सी.8/पूरक सं. 03/03

सं. ई (एम पी पी)2003/6/14 नई दिल्ली, दिनांक : 01.12.03

महाप्रबंधक (पी),
सभी भारतीय रेलें
उत्पादन इकाइयों सहित

विषय : प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के रूप में अशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु शारीरिक मानदंड.

नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी 11.8.2003 की अधिसूचना सा.का.नि.सं. 300 की प्रतिलिपि संलग्न है, जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के रूप में अशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु शारीरिक मानदंडों में छूट देने के संबंध में है. जहां कहीं प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है, वहां इसे कार्यान्वित किया जाए.

कृपया पावती दें.

(पी अनंत)
निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक : यथोक्त.

सं. ई (एम पी पी)2003/6/14 नई दिल्ली, दिनांक : 09.12.03

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
6. महासचिव, आल इंडियन आर.पी.एफ. एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001 को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos.1896—1902

Dated 23-08-2003

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

(नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 300.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 में, नियम 4 में, उपनियम (1) के दूसरे परन्तुक में,—

(i) खंड (ज) में, मद 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3. मशीन मिस्त्री"।

(ii) खंड (ञ) में, मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"2. बिजली मिस्त्री"।

(iii) खंड (ञ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(ट) समूह सं. 5—भवन और फर्नीचर व्यवसाय समूह

1. राज (भवन निर्माता)

(ठ) समूह सं. 10—ताप इंजन व्यवसाय समूह

1. मेकैनिक (डीजल)
2. ट्रैक्टर (मेकैनिक)
3. मेकैनिक (मोटर यान)

(ड) समूह सं. 11—नक्शानवीस और सर्वेक्षक व्यवसाय समूह

1. नक्शानवीस (यांत्रिक)
2. सर्वेक्षक

(ढ) समूह सं. 18—रासायनिक व्यवसाय समूह

1. प्लास्टिक प्रसंस्करण प्रचालक
2. उपकरण मेकैनिक (रसायन संयंत्र)
3. प्रयोगशाला सहायक (रसायन संयंत्र)
4. परिचर प्रचालक (रसायन संयंत्र)

(ण) समूह सं. 20—कृषि व्यवसाय समूह

1. पम्प प्रचालक सह मेकैनिक

(त) समूह सं. 21—चमड़ा दस्तकारी व्यवसाय समूह

1. पोशिश साज
2. चमड़ा सामान निर्माता

(थ) समूह सं. 23—इलेक्ट्रानिक व्यवसाय समूह

1. इलेक्ट्रानिक मेकैनिक

(द) समूह सं. 24—फोटोग्राफी व्यवसाय समूह

1. फोटोग्राफर

(ध) समूह सं. 26— शृंगार व्यवसाय समूह

1. केश और त्वचा परिचारक

(न) समूह सं. 29—कम्प्यूटर व्यवसाय समूह

1. डेस्क टाप पब्लिशिंग आपरेटर
2. डाटा तैयार करना और कम्प्यूटर साफ्टवेयर
3. प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रबंधन सहायक

परन्तु यह भी कि "आंखों" से संबंधित मद (3) के लिए विनिर्दिष्ट स्वस्थता मानक उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होंगे जिसकी दृष्टि निम्नलिखित व्यवसायों के लिए अल्प है (अल्प दृष्टि से अभिप्रेत है बेहतर आंख में सर्वोत्तम शुद्धि के साथ दृष्टि 6/18 से 6/60 से कम दृष्टि में कमी वाले व्यक्ति अथवा निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में दृष्टि-क्षेत्र में कमी है : (i) 50 डिग्री से कम दृष्टि क्षेत्र का संकुचन, (ii) धब्बेवाली अर्धान्धता सहित हेमिनोपिया, (iii) निम्न दृष्टि क्षेत्र में तुंगता/उच्चता संबंधी दोष :—

(क) समूह सं. 1—मशीन कर्मशाला व्यवसाय समूह

1. फिटर
2. खरादी
3. मशीन मिस्त्री
4. मशीन मिस्त्री (ग्राइंडर)

(ख) समूह सं. 2—ढलाई व्यवसाय समूह

1. फाउण्ड्रीमैन

(ग) समूह सं. 3—धातु कर्म व्यवसाय समूह

1. लोहार और हीट ट्रीटर
2. चादर धातु कर्मकार
3. मोटर यान बाडी निर्माता

(घ) समूह सं. 4—विद्युत व्यवसाय समूह
1. बिजली मिस्त्री
2. वायरमैन
3. वाइंडर (आर्मेचर)
4. इलेक्ट्रोप्लेटर

(ङ) समूह सं. 5—भवन और फर्नीचर व्यवसाय समूह
1. बढ़ई
2. प्लम्बर
3. खेल-कूद सामान निर्माता (काष्ठ)
4. फर्नीचर और कैबिनेट निर्माता

(च) समूह सं. 6—अनुरक्षण व्यवसाय समूह
1. सिलाई मशीन मेकैनिक

(छ) समूह सं. 9—प्रशीतन और वातानुकूलन व्यवसाय समूह
1. प्रशीतन और वातानुकूलन मेकैनिक

(ज) समूह सं. 10—ताप इंजन व्यवसाय समूह
1. मेकैनिक डीज़ल
2. ट्रैक्टर मेकैनिक
3. मेकैनिक (मिट्टी हटाने वाली मशीन)
4. आटो मेकैनिक (दो पहिया/तीन पहिया)

(झ) समूह सं. 14—मुद्रण व्यवसाय समूह
1. जिल्दसाज

(ञ) समूह सं. 15—होटल और खानपान व्यवसाय समूह
1. शिक्षु खाद्य उत्पादन (साधारण)
2. शिक्षु खाद्य उत्पादन (शाकाहारी)
3. स्टुवर्ड
4. बेकर और कंफेक्शनर
5. होटल लिपिक/स्वागतकर्ता/फ्रन्ट कार्यालय सहायक
6. फल और सब्जी प्रोसेसर

(ट) समूह सं. 16—टेक्सटाइल व्यवसाय समूह
1. बुनकर
2. बुनने वाला (हौजरी)
3. मुद्रण टेक्सटाइल

(ठ) समूह सं. 19—कटाई और दर्जीगीरी व्यवसाय समूह
1. डिजाइनर और मास्टर कटर
2. दर्जी (पुरुष)
3. दर्जी (स्त्री)
4. दर्जी (साधारण)

(ड) समूह सं. 20—कृषि व्यवसाय समूह
1. मेकैनिक (कृषि मशीनरी)
2. बागवानी सहायक
3. पशुपाल (डेयरी)
4. परिचर प्रचालक (डेयरी)
5. पंप प्रचालक सह-मेकैनिक

(ढ) समूह सं. 21—चमड़ा दस्तकारी व्यवसाय समूह
1. खेल-कूद सामान निर्माता (चमड़ा)
2. चमड़ा सामान निर्माता
3. पादुका निर्माता
4. प्रसंस्कृत चमड़ा निर्माता
5. चमड़ा मशीनरी के लिए अनुरक्षण मेकैनिक
6. पोशिश साज

(ण) समूह सं. 25—लोहा और इस्पात व्यवसाय समूह
1. ब्रिक लेयर (रीफ्रैक्टरी)
2. भट्टी प्रचालक (इस्पात उद्योग)
3. इस्पात मेल्टिंग हैंड

(त) समूह सं. 26—शृंगार व्यवसाय समूह
1. शृंगार व्यवसाय
2. केस प्रसाधक
3. स्वास्थ्य और तनुकरण सहायक
4. बाल और त्वचा परिचारक

(थ) समूह सं. 28—पेंटिंग व्यवसाय समूह
1. पेंटर (साधारण)

(द) समूह सं. 29—कम्प्यूटर व्यवसाय समूह
1. डेस्क टाप पब्लिशिंग आपरेटर
2. डाटा तैयार करना और कम्प्यूटर साफ्टवेयर
3. प्रोग्रामिंग और सिस्टम्स प्रशासन सहायक

(ध) समूह सं. 30—हाईटेक व्यवसाय समूह
1. एडवांस अटेंडेंट आपरेटर (प्रोसेस)
2. आपरेटर सह मेकैनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
3. अस्पतालों और व्यवसायिक तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए चिकित्सा उपकरण मेकैनिक

(न) समूह सं. 31—बहुकौशल व्यवसाय समूह
1. उन्नत मशीन औजार अनुरक्षण मेकैनिक
2. उन्नत मशीन औजार आपरेटर

परन्तु यह भी कि निम्नलिखित व्यवसायों के लिए प्रत्येक व्यवसाय के सामने दिखाई गई अधिकतम निःशक्तता वाले अस्थि विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति के संबंध में "अस्थितंत्र" से संबंधित मद (11) के लिए विनिर्दिष्ट स्वस्थता मानदंडों में छूट दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) समूह सं. 1-कर्मशाला व्यवसाय समूह

फिटर	एक ओर से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नीचे के अंग वाला व्यक्ति पद ग्रहण कर सकता है।
खरादी	एक ओर से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नीचे के अंग वाला व्यक्ति पद ग्रहण कर सकता है।
मशीन मिस्त्री	केवल क्षतिग्रस्त कनिष्ठका उंगली वाला व्यक्ति ही पद ग्रहण कर सकता है।

मशीनमिस्त्री (ग्राइंडर)	केवल क्षतिग्रस्त कनिष्ठका उंगली वाला व्यक्ति ही पद ग्रहण कर सकता है।

(ख) समूह सं. 2—ढलाई व्यवसाय समूह

पैटर्न मेकर	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक ऊपरी और एक नीचे के अंग वाला व्यक्ति ही पद ग्रहण कर सकता है।

(ग) समूह सं. 3—धातु कर्म व्यवसाय समूह

वेल्डर (गैस और विद्युत)	बिना टांग तथा एक हाथ की तीन उंगलियों से रहित व्यक्ति को लिया जा सकता है।
चादर धातु कर्मकार	दोनों निचले अंगों से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(घ) समूह सं. 4—विद्युत व्यवसाय समूह

बिजली मिस्त्री	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त निचले अंग वाले अभ्यर्थी को लिया जा सकता है।

(ङ) समूह सं. 5—भवन और फर्नीचर व्यवसाय समूह

प्लम्बर	हाथ और पांव की एक या दो उंगलियों से रहित व्यक्ति को लिया जा सकता है।
बढ़ई	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक ऊपरी और निचले अंग वाला व्यक्ति

(च) समूह सं. 6—अनुरक्षण व्यवसाय समूह

मेकैनिक अनुरक्षण (रसायन संयंत्र)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक निचले अंग वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(छ) समूह सं. 7—सूक्ष्म मशीनरी व्यवसाय समूह

टूल और डाई मेकर (डाई और मोल्ड)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त केवल एक या दो निचले अंग वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।
	प्रत्येक हाथ की कनिष्ठका उंगली से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।
टूल और डाई मेकर (प्रेस टूल, जिग्स और फिक्सचर)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त केवल एक तरफ से निचले अंग वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।
	केवल प्रत्येक हाथ की कनिष्ठका उंगली से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(ज) समूह सं. 8—उपकरण व्यवसाय समूह

मेकैनिक घड़ी और दीवार घड़ी	दोनों निचले अंग

(झ) समूह सं. 9—प्रशीतन और वातानुकूलन व्यवसाय समूह

प्रशीतन और वातानुकूलन मेकैनिक	जिस व्यक्ति का केवल एक निचला हिस्सा आंशिक रूप से कार्य कर रहा हो, लिया जा सकता है।
	प्रत्येक हाथ की कनिष्ठका उंगली क्षतिग्रस्त वाला व्यक्ति लिया जा सकता है।

(ञ) समूह सं. 10—ताप इंजन व्यवसाय समूह

मेकैनिक (डीजल)	दोनों हाथों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ऊपरी अंग (छोटी उंगली और अनामिका) वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।
	निचले अंग में केवल एक ओर से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।
ट्रैक्टर मेकैनिक	दोनों हाथों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ऊपरी अंग (कनिष्ठिका और अनामिका) वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।
	निचले अंग में केवल एक ओर से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।
मेकैनिक (मोटर यान)	दोनों हाथों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ऊपरी अंग (कनिष्ठिका और अनामिका) वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।
	निचले अंग में केवल एक ओर से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(ट) समूह सं. 11—नक्शानवीस और सर्वेक्षक व्यवसाय समूह

नक्शानवीस (सिविल)	आंशिक रूप से दोनों टांगों से रहित या एक टांग से रहित तथा बाएं ऊपरी अंग से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।
नक्शानवीस (यांत्रिक)	आंशिक रूप से दोनों टांगों से रहित या एक टांग से रहित तथा बाएं ऊपरी अंग से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।
सर्वेक्षक	आंशिक रूप से क्षतिगस्त एक निचला अंग।

(ठ) समूह सं. 14—मुद्रण व्यवसाय समूह

आफसैट मशीन माईंडर	एक निचला या एक ऊपरी अंग वाला व्यक्ति।
प्रोसेस कैमरामैन	एक निचला या एक ऊपरी अंग वाला व्यक्ति।
जिल्दसाज	कृत्रिम टांग सहित एक या दोनों निचले अंग वाला व्यक्ति।

(ड) समूह सं. 15—होटल और खानपान व्यवसाय समूह

बेकर और कंफेक्सनर	एक निचला या एक ऊपरी अंग वाला व्यक्ति।

(ढ) समूह सं. 18—रासायनिक व्यवसाय समूह

उपकरण मेकैनिक (रसायन संयंत्र)	एक निचले अंग में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।

अनुरक्षण मेकैनिक (रसायन संयंत्र)	एक निचले अंग में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।
परिचर प्रचालक (रसायन संयंत्र)	एक निचले अंग में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।
प्रयोगशाला सहायक (रसायन संयंत्र)	एक निचले अंग में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को लिया जा सकता है।
प्लास्टिक प्रसंस्करण प्रचालक	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक निचले अंग वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(ण) समूह सं. 20—कृषि व्यवसाय समूह

पम्प प्रचालक सह मेकैनिक	दोनों हाथों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ऊपरी अंग (छोटी उंगली और अनामिका) वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है। निचले अंग में केवल एक ओर से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।
मेकैनिक कृषि मशीनरी	दोनों हाथों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ऊपरी अंग (छोटी उंगली और अनामिका) वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है। निचले अंग में केवल एक ओर से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(त) समूह सं. 21—चमड़ा दस्तकारी व्यवसाय समूह

चमड़ा सामान निर्माता	एक निचले या एक ऊपरी अंग
पोशिश साज	दोनों निचले अंग

(थ) समूह सं. 23—इलेक्ट्रानिक व्यवसाय समूह

इलेक्ट्रानिक मेकैनिक	दोनों टांग या एक टांग से रहित व्यक्ति

(द) समूह सं. 26—शृंगार व्यवसाय समूह

केश और त्वचा परिचारक	आंशिक रूप से एक निचले हिस्से से रहित और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त एक/दोनों निचले हिस्से वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(ध) समूह सं. 28—पेंटिंग व्यवसाय समूह

पेंटर (साधारण)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक ऊपरी तथा एक निचले हिस्से वाले व्यक्ति को लिया जा सकता है।

(न) समूह सं. 29—कम्प्यूटर व्यवसाय समूह

डेस्कटाप पब्लिशिंग आपरेटर	दोनों निचले अंग
डाटा निर्माण और कम्प्यूटर साफ्टवेयर	दोनों निचले अंग
प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रबंधन सहायक	दोनों निचले अंग

[फा. सं. डीजीईएंडटी-23(3)/2903/2002-एपी]

एन. लंका, उप सचिव

पाद टिप्पणी.—मूल नियम भारत के राजपत्र सा. का. नि. 356 दिनांक 1 अगस्त, 1992 में प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् का.आ. 2144 दिनांक 9-10-93, सा.का.नि. 497 दिनांक 9-10-93, का.आ. 1041 दिनांक 30-4-94, सा.का.नि. 432 दिनांक 10-5-95, सा.का.नि. 806(अ) दिनांक 26-12-95, सा.का.नि. 345(अ) दिनांक 31-7-96, सा.का.नि. 390 दिनांक 14-9-96, सा.का.नि. 494 दिनांक 9-11-96, का.आ. 3159 दिनांक 9-11-96, सा.का.नि. 496 दिनांक 9-11-96, सा.का.नि. 521 दिनांक 16-11-96, सा.का.नि. 560(अ) दिनांक 10-12-1996, सा.का.नि. 561(अ) दिनांक 10-12-96, का.आ. 860 (अ) दिनांक 10-12-96, सा.का.नि. 269 दिनांक 21-6-97, का.आ. 1617 दिनांक 21-6-97, सा.का.नि. 293 दिनांक 10-7-97, सा.का.नि. 338 दिनांक 15-9-97, सा.का.नि. 339 दिनांक 17-9-97, सा.का.नि. 349 दिनांक 25-9-97, सा.का.नि. 691(अ) दिनांक 9-12-97, का.आ. 847(अ) दिनांक 9-12-97, सा.का.नि. 150(अ) दिनांक 28-3-98, सा.का.नि. 84 दिनांक 11-4-98, सा.का.नि. 73(अ) दिनांक 7-2-2001, सा.का.नि. 188(अ) दिनांक 15-3-2001, सा.का.नि. 375(अ) दिनांक 18-5-2001 एवं अन्तिम बार सा.का.नि. 656(अ) दिनांक 18-9-02, का.आ. 1017(अ) दिनांक 18-9-2002 द्वारा संशोधित किए गए।

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2003

G.S.R. 300.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2003.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in rule 4, in sub-rule (1) in the second proviso,
 (i) in clause (h), after item 2 and entries relating thereto, the following item and entry shall

be inserted, namely :—

"3. Machinist"

(ii) in clause (j), after item 1 and entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely :—

"2. Electrician"

(iii) after clause (j) and entries relating thereto, the following clauses and entries shall be inserted, namely :—

"(k) **Group No. 5—Building and Furniture Trade Group**

1. Mason (Building Constructor)

(l). **Group No. 10—Heat Engines Trades Group**

1. Mechanic (Diesel)
2. Mechanic Tractor
3. Mechanic (Motor Vehicle)

(m) **Group No. 11—Draughtsmen and Survey Trades Group**

1. Draughtsman (Mechanical)
2. Surveyor

(n) **Group No. 18—Chemical Trades Group**

1. Plastic Processing Operator
2. Instrument Mechanic (Chemical Plant)
3. Laboratory Assistant (Chemical Plant)
4. Attendant Operator (Chemical Plant)

(o) **Group No. 20—Agriculture Trades Group**

1. Pump Operator cum Mechanic

(p) **Group No. 21—Leather Crafts Trades Group**

1. Upholsterer
2. Leather Goods Maker

(q) **Group No. 23—Electronics Trades Group**

1. Electronics Mechanic

(r) **Group No. 24—Photography Trades Group**

1. Photographer

(s) **Group No. 26—Beautician Trades Group**

1. Hair and Skin Carer

(t) **Group No. 29—Computer Trades Group**

1. Desk Top Publishing Operator
2. Data Preparation and Computer Software
3. Programming and Systems Administration Assistant

Provided also that the standards of fitness specified for item (3) relating to "eyes" shall not apply in the case of a person with low vision (Low vision means a person with impairment of vision of less than 6/18 to 6/60 with best correction in the better eye or impairment of field in any one of the following categories : (i) Reduction of fields less than 50 degrees, (ii) Heminaopia with macular involvement, (iii) Altitudinal defect involving lower fields.") for the following trades, namely :—

(A) **Group No. 1—Machine Shop Trades Group**

1. Fitter
2. Turner
3. Machinist
4. Machinist (Grinder)

(B) **Group No. 2—Foundry Trade Group**

1. Foundryman

(C) **Group No. 3—Metal Working Trades Group**

1. Forger and Heat Treater
2. Sheet Metal Worker
3. Motor Vehicle Body Builder

(D) **Group No. 4—Electrical Trades Group**

1. Electrician
2. Wireman
3. Winder (Armature)
4. Electroplater

(E) **Group No. 5—Building and Furniture Trades Group**

1. Carpenter
2. Plumber
3. Sports Goods Maker (Wood)
4. Furniture and Cabinet Maker

(F) **Group No. 6—Maintenance Trades Group**

1. Mechanic Sewing Machine

(G) **Group No. 9—Refrigeration and Air Conditioning Trades Group**

1. Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic

(H) **Group No. 10—Heat Engines Trades Group**

1. Mechanic Diesel
2. Tractor Mechanic
3. Mechanic (Earth Moving Machinery)
4. Auto Mechanic (Two Wheeler/Three Wheeler)

(I) **Group No. 14—Printing Group of Trades**

1. Book Binder]

(J) **Group No. 15—Hotel and Catering Trades Group**

1. Apprentice Food Production (General)
2. Apprentice Food Production (Vegetarian)

2358 M of Labour/03-2

3. Steward
4. Baker and Confectioner
5. Hotel Clerk/Receptionist/Front Office Assistant
6. Fruit and Vegetable Processor

(K) Group No. 16—Textile Trades Group

1. Weaver
2. Knitter (Hosiery)
3. Printing Textile

(L) Group No. 19—Cutting and Tailoring Trades Group

1. Designer and Master Cutter
2. Tailor (Men)
3. Tailor (Women)
4. Tailor (General)

(M) Group No. 20—Agriculture Trades Group

1. Mechanic (Agricultural Machinery)
2. Horticulture Assistant
3. Stockman (Dairy)
4. Attendant Operator (Dairy)
5. Pump Operator cum Mechanic

(N) Group No. 21—Leather Crafts Trades Group

1. Sport Goods Maker (Leather)
2. Leather Goods Maker
3. Footwear Maker
4. Finished Leather Maker
5. Maintenance Mechanic for Leather Machinery
6. Upholsterer

(O) Group No. 25—Iron and Steel Trades Group

1. Brick Layer (Refractory)
2. Furnace Operator (Steel Industry)
3. Steel Melting Hand

(P) Group No. 26—Beautician Trades Group

1. Beautician
2. Hair Dresser
3. Health and Slimming Assistant
4. Hair and Skin Carer

(Q) Group No. 28—Painting Trades Group

1. Painter (General)

(R) Group No. 29—Computer Trades Group

1. Desk Top Publishing Operator
2. Data Preparation and Computer Software
3. Programming and Systems Administration Assistant

(S) Group No. 30—Hi-Tech Trades Group

1. Advanced Attendant Operator (Process)
2. Operator Cum Mechanic Pollution Control Equipment
3. Mechanic Medical Equipment for Hospitals and Occupational and Health Centres

(T) Group No. 31—Multi Skill Trades Group

1. Mechanic Advanced Machine Tool Maintenance
2. Operator Advanced Machine Tool

Provided also that the standards of fitness specified for item (11) relating to "skeletal system" will be relaxed in the case of a Orthopadically handicapped person for the following trades with maximum disability as mentioned against each trade, namely :—

(A) Group No. 1—Machine Shop Trades Group

Fitter	Lower limb partially damaged from one side can join
Turner	Lower limb partially damaged from one side can join.
Machinist	Only small finger damaged can join.
Machinist (Grinder)	Only small finger damaged can join.

(B) Group No. 2—Foundry Trades Group

Pattern Maker	One upper and lower limb partially damaged can join.

(C) Group No. 3—Metal Working Trades Group

Welder (Gas and Electric)	A person without leg and without three finger of one hand can be accommodated.
Sheet Metal Worker	Both Lower limb damaged can be accommodated.

(D) Group No. 4—Electrical Trades Group

Electrician	Partially lower limb students can be accommodated.

(E) Group No. 5—Building and Furniture Trades Group

Plumber	A person without one or two finger of foot and hand can be accommodated.
Carpenter	One upper and lower limb partially damaged.

(F) Group No. 6—Maintenance Trades Group

Mechanic Maintenance (Chemical Plant)	With one lower limb partially damaged can be accommodated.

(G) **Group No. 7—Precision Machining Trades Group**

Tool and Die Maker (Die and Moulds)	Lower limb partially damaged only one side can be accommodated. Small finger of each hand damaged can be accommodated.
Tool and Die Maker (Press Tools, Jigs and Fixtures)	Lower limb partially damaged only one side can be accommodated. Small finger of each hand damaged can be accommodated.

(H) **Group No. 8—Instrument Trades Group**

Mechanic Watch and Clock	Both lower limbs

(I) **Group No. 9—Refrigeration and Air Conditioning Trades Group**

Refrigeration and Air Conditioning Mechanic	Only one lower limb partially working can be accommodated Small finger of each hand damaged can be accommodated.

(J) **Group No. 10—Heat Engines Trades Group**

Mechanic (Diesel)	Upper limb partially damaged (Little finger and Ring Finger) can be accommodated for both hands. Lower limb partially damaged only one side can be accommodated.
Tractor Machanic	Upper limb partially damaged (Little finger and Rin Finger) can be accommodated for both hands. Lower limb partially damaged only one side can be accommodated.
Mechanic Motor Vehicle	Upper limb partially damaged (Little finger and Ring Finger) can be accommodated for both hands. Lower limb partially damaged only one side can be accommodated.

(K) **Group No. 11—Draughtsmen and Surveyor Trades Group**

Draughtsman (Civil)	Partially without both legs or without one leg and upper left limb damaged.
Draughtsman (Mechanical)	Partially without both legs or without one leg and upper left limb damaged.
Surveyor	One lower limbs partially damaged.

(L) **Group No. 14—Printing Group of Trades**

Offset Machine Minder	One lower or one upper limb.
Process Cameraman	One lower or one upper limb.
Book Binder	One lower limb or both lower limbs with artificial leg.

(M) **Group No. 15—Hotel and Catering Trades Group**

Baker and Confectioner	One lower or one upper limb.

(N) **Group No. 18—Chemical Trades Group**

Instrument Mechanic (Chemical Plant)	With one lower limb partially damaged can be accommodated.
Maintenance Mechanic (Chemical Plant)	With one lower limb partially damaged can be accommodated.
Attendant Operator (Chemical Plant)	With one lower limb partially damaged can be accommodated.
Laboratory Assistant (Chemical Plant)	With one lower limb partially damaged can be accommodated.
Plastic Processing Operator	One lower limb partially damaged.

(O) **Group No. 20—Agriculture Trades Group**

Pump Operator cum Mechanic	Upper limb partially damaged (Little finger and Ring Finger can be accommodated for Both hands. Lower limb partially damaged only one side can be accommodated.
Mechanic Agircultural Machinery	Upper limb partially damaged (Little finger and Ring Finger can be accomodated for both hands. Lower limb partially damaged only one side can be accommodated. Lower limb partially damaged from one side.

(P) **Group No. 21—Leather Crafts Trades Group**

Leather Goods Maker	One lower or one upper limb.
Upholsterer	Both lower limbs :

(Q) **Group No. 23—Electronics Trades Group**

Electronics Mechanic	Without legs or leg.

(R) **Group No. 26-Beautician Trades Group**

Hair and Skin Carer	Partially without one lower limb and one or two lower limbs totally damaged can be adjusted.

(S) **Group No. 28-Painting Trades Group**

Painter General	One upper and lower limb partially damaged.

(T) **Group No. 29-Computer Trades Group**

Desk Top Publishing Operator	Both lower limbs.
Date Preparation and Computer Software	Both lower limbs.
Programming and Systems Administration Assistant".	Both lower limbs.

[F. No. DGE&T-23(3)/2903/2002-AP]

N. LANKA, Dy. Secy.

Foot Note—The Principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 356 dated the 1st Augu.. 1992 and subsequently amended vide S.O. 2144 dated 9-10-93, G.S.R. 497 dated 9-10-93, S.O. 1041 dated 30-4-94, G.S.R. 432 dated 20-8-94, G.S.R. 239(E) dated 23-3-95, G.S.R. 433(E) dated 10-5-95, G.S.R. 806(E) dated 26-12-95. G.S.R. 345(E) dated 31-7-96, G.S.R. 390 dated 14-9-96, G.S.R. 2650 dated 14-9-96, G.S.R. 494 dated 9-11-96, S.O. 3159 dated 9-11-96, G.S.R. 496 dated 9-11-96, G.S.R. 521 dated 16-11-96, G.S.R. 560(E) dated 10-12-96, G.S.R. 561(E) dated 10-12-96, S.O. 860(E) dated 10-12-96, G.S.R. 269 dated 21-6-97, S.O. 1617 dated 21-6-97, G.S.R. 293 dated 10-7-97, G.S.R. 338 dated 15-9-97, G.S.R. 339 dated 17-9-97, G.S.R. 349 dated 25-9-97, G.S.R. 691(E) dated 9-12-97 and S.O. 847(E) dated 9-12-97, G.S.R. 150(E) dated 28-3-98, G.S.R. 84 dated 11-4-98, G.S.R. 73(E) dated 07-02-2001, G.S.R. 188(E) dated 15-3-2001, G.S.R. 375(E) dated 18-5-2001 and last amended vide number G.S.R. 656 (E) dated 18-09-2002, S.O. 1017(E) dated 18-9-2002.

MGIPRRND—2358 Lab./03—500